

अध्याय IV

भाग क- आय कर

भाग ख- वेतनेत्तर हित लाभ कर

भाग ग- सम्पत्ति कर

अध्याय सार

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय को, उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अगस्त तथा नवम्बर 2010 के बीच जारी ₹ 3,806.7 करोड़ रूपए के कर प्रभाव वाले आय कर, वेतनेत्तर हितलाभ कर और सम्पत्ति कर से संबंधित 165 उच्च मूल्य वाले मामले शामिल हैं। मंत्रालय ₹ 97.3 करोड़ रूपए की राजस्व प्रभाव वाली 77 अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है।

(पैराग्राफ 4.1, 4.7 और 4.9)

गलत निर्धारण के ये मामले आय कर विभाग द्वारा प्रयोग की जा रही निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं। निर्धारणों में प्रमुख गलतियाँ निम्न के कारण थीं:

- ₹ 3,674.5 करोड़ के कर प्रभाव वाले पाँच मामलों में उच्च जोखिम निर्धारितियों के निर्धारणों में गलतियाँ।

(पैराग्राफ 4.2)

- ₹ 1.6 करोड़ के कर प्रभाव वाले छः मामलों में आय एवं कर की संगणना में गणितीय त्रुटियाँ।

(पैराग्राफ 4.3.1)

- ₹ 88 लाख के कर प्रभाव वाले पाँच मामलों में कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना।

(पैराग्राफ 4.3.2)

- ₹ 8.6 करोड़ के कर प्रभाव वाले 14 मामलों में ब्याज के उदग्रहण में गलतियाँ।

(पैराग्राफ 4.3.3)

- ₹ 5.6 करोड़ के कर के कम उदग्रहण वाले नौ मामलों में व्यय की गलत अनुमति।

(पैराग्राफ 4.4.1)

- ₹ 5 करोड़ के कर के कम उदग्रहण वाले 11 मामलों में न्यासों/फर्मों/समितियों को छूट और कटौतियों की अनियमित अनुमति।

(पैराग्राफ 4.4.2)

- ₹ 5.5 करोड़ के कर के कम उदग्रहण वाले 11 मामलों में मूल्यहास और कारोबार हानियों की अनियमित अनुमति।

(पैराग्राफ 4.4.4)

2010-11 की प्रतिवेदन संख्या 26 (प्रत्यक्ष कर)

- ₹ 3.3 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण वाले आठ मामलों में आय की गलत संगणना।

(पैराग्राफ 4.5.1)

- ₹ 1.3 करोड़ के सम्पत्ति कर के अनुद्ग्रहण वाले 10 मामलों में निर्धारण अभिलेखों से असम्बद्ध होने के कारण सम्पत्ति कर का निर्धारण न करना।

(पैराग्राफ 4.10)

अध्याय IV

क आयकर

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

4.1.1 इस प्रतिवेदन में मंत्रालय को, उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अगस्त तथा नवम्बर 2010 के बीच जारी ₹ 3,800.5 करोड़ के कर प्रभाव वाले 121 उच्च मूल्य वाले मामले शामिल हैं।


4.1.2 मंत्रालय ने दिसम्बर 2010 को ₹ 93 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाले 46 मामलों में हमारी अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए 50 मामलों (41 प्रतिशत) में उत्तर दिए हैं। इनमें से विभाग ने पाँच मामलों में ₹ 69.5 लाख वसूली की ₹ 90 करोड़ के कर प्रभाव वाले 36 मामलों में उपचारी कार्रवाई पूरी की और ₹ 2.3 करोड़ के कर प्रभाव वाले पाँच अन्य मामलों में उपचारी कार्रवाई प्रारम्भ की। इन 46 मामलों का इस प्रतिवेदन के अध्याय-II के पैराग्राफ 2.5.4, 2.5.5 और 2.5.6 में उल्लेख किया गया है। मंत्रालय के उत्तर जहाँ कहीं प्राप्त हुए हैं, की जाँच की गई है और इस प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किए गए हैं।

4.1.3 यह अध्याय 75 मामलों की चर्चा करता है, जिसमें से 64 मामलों में ₹ 3,396.7 करोड़ का अवप्रभार शामिल है और 11 मामलों में ₹ 310.8 करोड़ का अधिप्रभार शामिल है। अधिकांश निर्धारणों में गलतियां अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद की गई थीं। गलत निर्धारण के ये मामले आय कर विभाग द्वारा प्रयोग की जा रही निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं।

4.1.4 गलतियों की श्रेणियों को व्यापक रूप से निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:

- संगणना में त्रुटियाँ और चूकें
- निर्धारितियों को दी गई अपात्र रियायतें
- निर्धारित न की गई/अवनिर्धारित आय
- अन्य

चार्ट 4.1: गलतियों की श्रेणियां



श्रेणीवार ब्यौरे चार्ट 4.1 में दर्शाए गए हैं। कर प्रभाव के अनुसार गलतियों के 99 प्रतिशत "संगणन में त्रुटियों/चूकों" से संबंधित है। इस अध्याय के आगामी खण्डों में प्रत्येक श्रेणी में पहला पैराग्राफ निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा की गई गलतियों के स्वरूप को दर्शाता है। चार श्रेणियों को पुनः उपविभाजित किया गया है और उप-श्रेणीवार वर्णन नीचे दिया गया है। रूचिकर मामलों के उदाहरण इस अध्याय के आगामी पैराग्राफों में दिये गए हैं।

4.2 उच्च जोखिम निर्धारितियों के निर्धारण में गलतियाँ

हमने 2009-10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 के पैरा 1.8 में यह बताया था कि 2008-09 में ₹ 2 लाख करोड़ की असंग्रहीत रही राशि में से अकेले एक समूहनामत: **हसन अली खान** की ₹ 71,874 करोड़ की असंग्रहीत माँग बनती थी। इस वर्ष हमने उच्च जोखिम निर्धारितियों के इस समूह के निर्धारणों में गलतियाँ पाईं। ये ₹ 3,369.6 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के दो मामले और ₹ 304.9 करोड़ के कर अतिप्रभार के तीन मामले थे। विभाग ने सभी पांच मामलों में उपचारी कार्रवाई की है।

हसन अली खान ने उसके विरुद्ध प्रारम्भ की गई तलाशी⁴⁸ कार्रवाई के परिणामस्वरूप फरवरी 2007 में विवरणियाँ⁴⁹ दाखिल कीं। निर्धारण वर्षों के लिए उसकी कर देयता की संगणना करते समय, विभाग ने विवरणियों के प्रस्तुत करने में चूक के लिए ₹ 4,056 करोड़ के बजाए ₹ 706.01 करोड़ और अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ₹ 9,756.9 करोड़ के बजाए ₹ 10,033.3 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए कर देयता की संगणना करते समय, निर्धारिती द्वारा कमीशन आय और अर्जित फीस के कारण ₹ 69.5 लाख के बजाए ₹ 69.5 करोड़ को वापस जोड़ा गया था। इन गलतियों के परिणामस्वरूप क्रमशः धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 3,349.9 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ, धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 276.4 करोड़ के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ और ₹ 24.1 करोड़ के कर का अधिक उद्ग्रहण हुआ।


4.3 संगणना में त्रुटियाँ/चूकें

संवीक्षा निर्धारण में एओ को निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही निर्धारण करना और कर अथवा प्रतिदायों, जैसा भी मामला हो की सही राशि का अवधारण करना अपेक्षित है।

के कर प्रभाव वाले 25 मामलों में गलत आँकड़ों, की गई गणितीय त्रुटियों, कर और अधिभार की गलत दरों के लागू करने को अपनाया। इन 25 मामलों में से 17 मामलों में ₹ 5.1 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण और आठ मामलों में ₹ 5.9 करोड़ के कर का अधिप्रभार हुआ था। श्रेणी वार ब्यौरे (कर प्रभाव पर आधारित) चार्ट 4.2 में दिखाए गए हैं। तीन उप-श्रेणियों की चर्चा नीचे की गई है:

हमने पाया कि ऐसे मामले थे जहाँ एओ ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ₹ 11 करोड़

चार्ट 4.2: संगणना में त्रुटियाँ तथा चूकें



⁴⁸ तलाशी कार्रवाई से पता चला कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06 और 2006-07 की आय की विवरणियाँ दाखिल नहीं की थीं। फरवरी 2007 में धारा 153ए के अन्तर्गत जारी सूचना के परिणामस्वरूप, निर्धारिती ने सभी विवरणियों को मई 2007 में दाखिल किया। उपर्युक्त वर्षों के लिए निर्धारण निर्धारण वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06 और 2006-07 के लिए क्रमशः ₹ 528.9 करोड़, ₹ 5404.7 करोड़, ₹ 2443.5 करोड़, ₹ 10,494.9 करोड़ और ₹ 54,268.6 करोड़ की कर योग्य आय का अवधारण करते हुए दिसम्बर 2008 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अन्तर्गत पूरा किया गया था।

⁴⁹ निर्धारण वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06 और 2006-07 के लिए।

4.3.1 आय और कर की संगणना में गणितीय त्रुटियाँ

हमने दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ₹ 1.6 करोड़ के कर प्रभाव वाले छः मामलों में आय और कर की संगणना में गणितीय त्रुटियाँ पाईं। ₹ 69.5 लाख के कर के कम उद्ग्रहण वाले तीन मामले और ₹ 89.7 लाख के कर के अधिप्रभार वाले तीन मामले थे। इन मामलों के ब्यौरे मंत्रालय को भेजे गए हैं।

4.3.2 कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना

हमने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ₹ 88 लाख के कर प्रभाव वाले पाँच मामलों में कर और अधिभार की दरों के गलत लागू करने से संबंधित गलतियाँ पाईं। इनमें से ₹ 81.9 लाख के कर के कम उद्ग्रहण वाले चार मामले थे और ₹ 6.1 लाख के कर के अधिप्रभार का एक मामला था। दो मामलों के उदाहरण नीचे दिये गए हैं।

ए. प्रभार: सीआईटी, सैन्ट्रल-II, दिल्ली; निर्धारण वर्ष 2005-06

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, आयकर निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाएगा।

डा. नरेश त्रेहन⁵⁰ के मामले में अधिभार और शिक्षा उपकर व्यष्टियों को क्रमशः 10 और 2 प्रतिशत की सही दर के बजाए क्रमशः 2.5 और 2 प्रतिशत पर उद्ग्रहीत किया गया था। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 34.5 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

बी. प्रभार: सीआईटी, गोरखपुर; निर्धारण वर्ष 2006-07

सहारा स्टेट⁵¹, व्यक्तियों का एक संघ की कर देयता की संगणना करते समय दस प्रतिशत की दर पर अधिभार ₹ 1.7 करोड़ के कर पर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 23 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.3.3 ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ

हमने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ₹ 3.6 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण वाले दस मामले और विवरणी के प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियों, कर के भुगतान में विलम्ब आदि से संबंधित ₹ 5 करोड़ के कर के अधिप्रभार वाले चार मामले पाए। दो मामलों के उदाहरण नीचे दिये गए हैं।

ए. प्रभार: सीआईटी, सैन्ट्रल-I, अहमदाबाद; निर्धारण वर्ष 2004-05

धारा 234ए में प्रावधान है कि जहाँ आय की विवरणी को देय तारीख के पश्चात प्रस्तुत किया गया अथवा प्रस्तुत नहीं किया गया है, वहाँ ब्याज विशिष्ट दरों पर उद्ग्रहीत किया जाना है।

विकास ए शाह⁵², की कर देयता की संगणना करते समय एओ ने आय की विवरणी के प्रस्तुत करने में चूक के लिए ₹ 2.6 करोड़ के बजाए ₹ 39.5 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण किया। गलती के परिणामस्वरूप

⁵⁰ दिसम्बर 2007 में निर्धारित ₹ 11.4 करोड़ की आय।

⁵¹ दिसम्बर 2008 में निर्धारित ₹ 5.7 करोड़ की आय।

⁵² दिसम्बर 2006 में निर्धारित ₹ 29.9 करोड़ की आय।

₹ 2.2 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

बी. प्रभार: सीआईटी, सैन्ट्रल-1, मुम्बई; निर्धारण वर्ष 2007-08

धारा 234सी में निर्धारित दरों पर अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान है।


एओ ने धारा 234सी के अन्तर्गत ₹ 31.4 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया, यद्यपि इसकी संगणना आय की विवरणी में **संजीव आर सेठ**⁵³ निर्धारिती द्वारा की गई थी। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 5.1 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ और धारा 234सी के अन्तर्गत ₹ 31.4 लाख के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

4.4 निर्धारितियों को दी गई अपात्र रियायतें

एक निर्धारिती अधिनियम के अध्याय VIए के अन्तर्गत कटौतियों और अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय की कतिपय श्रेणियों के लिए दावा कर सकता है।

अपात्र रियायतें और कटौतियाँ छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ₹ 16.3 करोड़ के कर प्रभाव

चार्ट 4.3: निर्धारितियों को अपात्र रियायतें



वाले 32 मामलों में निर्धारितियों को दी गई थी। उप श्रेणी वार ब्योरे (कर प्रभाव पर आधारित) चार्ट 4.3 में दर्शाए गए हैं। चार उप श्रेणियों की चर्चा नीचे की गई है:

4.4.1 व्यय की गलत अनुमति

हमने नौ मामलों में व्यय की अनुमति में गलतियां देखीं जिसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल में ₹ 5.6 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। एक मामले का उदाहरण नीचे दिया गया है।

प्रभार: सीआईटी-XII, दिल्ली; निर्धारण वर्ष 2005-06

नियम 6डीडी के साथ पठित धारा 40ए(3) में प्रावधान किया गया है कि यदि ₹ 20,000 की अधिकता में भुगतान लेखागत चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट के अलावा किया गया है, तो ऐसे व्यय का 100 प्रतिशत (निर्धारण वर्ष 2007-08 तक 20 प्रतिशत) कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

कोन्टिनेन्टल केरियरस ऑफ इण्डिया⁵⁴

एक फर्म, ने 'लारी भाड़े' पर लेने के कारण ₹ 47.5 करोड़ का व्यय किया, जिसका भुगतान नकद में किया गया था। तथ्य को फोर्म 3सीडी में भी सूचित किया गया था। इसके बावजूद, कुल नकद भुगतान का पाँचवा हिस्सा होने की वजह

⁵³ मार्च 2009 में निर्धारित ₹ 25.5 करोड़ की आय।

⁵⁴ ₹ 47.9 लाख की आय का निर्धारण जनवरी 2007 में किया गया।

से ₹ 9.5 करोड़ को अननुमत नहीं किया गया था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 3.8 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.4.2 न्यासों/फर्मों/समितियों को छूटें और कटौतियों की अनियमित अनुमति

अधिनियम की धारा 10(20), 10(23बी) और 11 के अन्तर्गत छूटों की अनियमित अनुमति और अधिनियम की धारा 80आईए, 80आईबी और 80एचएचसी के अन्तर्गत कटौतियों की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 11 मामलों में ₹ 5 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। एक मामले का उदाहरण नीचे दिया गया है।

प्रभार: सीआईटी-II त्रिची; निर्धारण वर्ष 2004-05

अधिनियम की धारा 10(20) कर के प्रभार से स्थानीय प्राधिकरण की आय को छूट देती है। पंचायत, नगरपालिका, नगर समिति और जिला परिषद् इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण के अर्थ के अन्दर आते हैं।

तन्जावूर मार्केट कमेटी⁵⁵, व्यक्तियों का एक संघ, को ₹ 1.6 करोड़ के निवल लाभ के प्रति धारा 10(20) के अन्तर्गत ₹ 2.4 करोड़ की छूट की अनुमति दी गई थी। चूंकि निर्धारिती एक बाजार समिति⁵⁶ है जो स्थानीय प्राधिकरण के अर्थ के अन्दर नहीं आती है इसलिए यह धारा 10(20) के अन्तर्गत छूट का दावा करने के

लिए अपात्र था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 1.6 करोड़ की आय का अवनिर्धारण और ₹ 82.2 लाख की अग्रेनीत हानियों के समंजन की गलत अनुमति हुई जिससे ₹ 86.5 लाख के कर का कम उद्ग्रहण और ₹ 27.1 लाख का संभाव्य कर प्रभाव शामिल था।

4.4.3 व्यष्टियों को कटौतियों की गलत अनुमति

एओ ने एक मामले में व्यष्टि को कटौती की अनुमति में गलती की जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में ₹ 25 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। एक मामले का उदाहरण नीचे दिया गया है।

क. प्रभार: सीआईटी-XII कोलकाता; निर्धारण वर्ष 2006-07

एक निर्धारिती प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) के संबंध में (निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2008-09 के लिए लागू) धारा 88ई के अन्तर्गत छूट का दावा कर सकता है। छूट की प्रमात्रा प्रदत्त एसटीटी के बराबर है और आयकर की औसत दर को लागू करते हुए संगणित कर योग्य प्रतिभूति संव्यवहारों से उद्भूत होने वाली आय पर आय कर की राशि तक सीमित है।

केदार नाथ अग्रवाल⁵⁷ को ₹ 92.5 लाख के प्रदत्त एसटीटी के आधार पर धारा 88ई के अन्तर्गत ₹ 81 लाख की छूट की अनुमति दी गई थी। उसे शेयर बाजार से

⁵⁵ निवल लाभ ₹ 1.6 करोड़ की धनात्मक आय थी और ₹ 2.4 करोड़ की छूट की अनुमति देने के पश्चात आय का निर्धारण दिसम्बर 2006 में 'शून्य' के रूप में किया गया।

⁵⁶ 305 आईटीआर 1 (एससी) में सूचित एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बनाम सीआईटी के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि कृषि बाजार समिति अधिनियम की धारा 10(2) के अन्तर्गत छूट के लिए हकदार नहीं है।

⁵⁷ ₹ 3.1 करोड़ की आय का निर्धारण नवम्बर 2008 में किया गया।

₹ 2.2 करोड़ का कारोबार लाभ⁵⁸ हुआ था। इस प्रकार मात्र ₹ 64 लाख की छूट⁵⁹ उसे स्वीकार्य थी। छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 25 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.4.4 मूल्यह्रास और कारोबार हानियों की अनियमित अनुमति

11 मामलों में मूल्यह्रास और कारोबार हानियों की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप दिल्ली, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ₹ 5.5 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। दो मामलों के उदाहरण नीचे दिये गए हैं।

ए. प्रभार: सीआईटी-XIII दिल्ली; निर्धारण वर्ष 2004-05

15 प्रतिशत का अतिरिक्त मूल्यह्रास किसी वस्तु अथवा चीज के विनिर्माण अथवा उत्पादन के कारोबार में लगे एक निर्धारिती द्वारा 31 मार्च 2002 के पश्चात उपार्जित और प्रतिष्ठापित किसी नई मशीनरी अथवा संयंत्र के मामले में स्वीकार्य है।

बीएससी-सी और सी ज्यॉट वेंचर⁶⁰, व्यक्तियों का एक संघ को संयंत्र और मशीनरी एवं ट्रीपरस⁶¹ पर 15 प्रतिशत पर अतिरिक्त मूल्यह्रास सहित 40 प्रतिशत पर ₹ 10.8 करोड़ एवं ₹ 4.1 करोड़

का मूल्यह्रास अनुमत किया गया था। चूंकि निर्धारिती किसी वस्तु अथवा चीज के विनिर्माण और उत्पादन में नहीं लगा है इसलिए यह अतिरिक्त मूल्यह्रास का दावा करने का पात्र नहीं था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 5.6 करोड़ के मूल्यह्रास की गलत अनुमति हुई जिसमें ब्याज सहित ₹ 2.9 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

बी. प्रभार: सीआईटी-IX, दिल्ली; निर्धारण वर्ष 2005-06.

धारा 72 वर्ष की निवल हानि को अग्नेनीत करने और अगले आठ निर्धारण वर्षों के लाभों, यदि कोई हो, के प्रति समंजन अनुमत करती है।

सुधीर शेखरी⁶² को ₹ 1.8 करोड़ की पहले वर्षों की अग्नेनीत हानियों के समंजन करने की अनुमति दी गई थी यद्यपि समंजन के लिए निर्धारण वर्ष

2005-06 में उपलब्ध अग्नेनीत हानियाँ नहीं थीं। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 80.3 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

⁵⁸ शेयर बाजार से संबंधित ₹ 59 लाख के व्यय को करके उससे ₹ 2.7 करोड़ की सकल प्राप्तियाँ। ₹ 2.7 करोड़ की सकल प्राप्तियों में ₹ 92.5 लाख की प्रदत्त एसटीटी की राशि शामिल थी जिससे संबंधित व्यय को नवम्बर 2008 में पूरे किए गए संवीक्षा निर्धारण में अनुमत नहीं किया गया था।

⁵⁹ धारा 88ई के (कारोबार आय*कुल कर) = ₹ 2.2 करोड़ * ₹ 92.9 लाख = ₹ 64 लाख
कुल आय ₹ 3.1 करोड़

⁶⁰ ₹ 13.5 करोड़ की आय का निर्धारण दिसम्बर 2006 में किया गया था।

⁶¹ संयंत्र और मशीनरी एवं रद्दी चीज पर मूल्यह्रास की स्वीकार्य दर 25 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, 15 प्रतिशत का अतिरिक्त मूल्यह्रास कटौती के रूप में अनुमत है जहाँ ऐसे मशीनरी अथवा संयंत्र का उपार्जन एवं प्रतिष्ठापन किसी वस्तु अथवा चीज के विनिर्माण अथवा उत्पादन में लगे किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा 31 मार्च 2002 के पश्चात किया गया है।


⁶² ₹ 1.4 करोड़ की आय का निर्धारण सितम्बर 2007 में किया गया।

4.5 निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय

किसी भी पिछले वर्ष के लिए व्यक्ति की कुल आय में समस्त आय शामिल होगी चाहे वह किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न हुई हो; वास्तव में प्राप्त अथवा उपार्जित अथवा मानी गई प्राप्त अथवा उपार्जित हो।

11 मामलों में आय का निर्धारण कम हुआ था

चार्ट 4.4: निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय



जिसमें दिल्ली, झारखण्ड, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु तथा पश्चिम

बंगाल में ₹ 4.5 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। उप श्रेणीवार विवरण (कर प्रभाव के आधार पर) चार्ट 4.4 में दर्शाए गए हैं। तीन उपश्रेणियों की चर्चा नीचे की गई है:

4.5.1 आय की गलत संगणना

निर्धारण अधिकारियों ने आठ मामलों में आय की गणना में गलतियों की जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली, झारखण्ड, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में ₹ 3.3 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। दो मामलों के उदाहरण नीचे दिये गए हैं।

ए. प्रभार: सीआईटी-III कोयम्बटूर: निर्धारण वर्ष 2004-05, 2005-06

धारा 143(3) के अनुसार निर्धारण अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही निर्धारण करें और कर की सही राशि निर्धारित करें।

जी.बी.सुन्दरराजन⁶³ ने नि.व. 2004-05 तथा 2005-06 के लिए क्रमशः ₹ 9.6 लाख तथा ₹ 1.3 करोड़ का पारिश्रमिक अपनी आय में प्रस्तुत किया जबकि, मै. सुगुना पॉल्ट्री फार्म लि., जिसका निर्धारिती संयुक्त प्रबंध निदेशक है,

के लेखा-विवरण के अनुसार उसने नि.व. 2004-05 तथा 2005-06 के लिए क्रमशः ₹ 1.2 करोड़ तथा ₹ 1.8 करोड़ का पारिश्रमिक प्राप्त किया। इस प्रकार ₹ 1.6 करोड़ का पारिश्रमिक कर निर्धारण से बच गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 51.7 लाख के कर का कम निर्धारण हुआ।

बी. प्रभार: सीआईटी, कटक: नि.व. 2005-06

अनिल कुमार अग्रवाल⁶⁴ ने कुल बिक्री ₹ 3.4 करोड़ दर्शाई जबकि बिक्री कर विभाग के निर्धारण आदेश में ₹ 4.3 करोड़ की कुल बिक्री का निर्धारण हुआ था। बिक्री में

⁶³ नि. वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए नवम्बर 2006 तथा मार्च 2007 में क्रमशः ₹ 17.3 लाख तथा ₹ 1.3 करोड़ की आय का निर्धारण हुआ।

⁶⁴ दिसम्बर 2007 में ₹ 12.8 लाख की आय का निर्धारण हुआ।

₹ 95.4 लाख का अन्तर निर्धारण से बच गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 44.5 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.5.2 पूंजीगत अभिलाभ की गलत संगणना

हमने पूंजीगत अभिलाभ की संगणना में तीन मामलों में गलतियां देखी जिसके परिणामस्वरूप पंजाब तथा तमिलनाडु में ₹ 1.2 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। एक मामले का उदाहरण नीचे दिया गया है।

प्रभार: सीआईटी-II, कोयम्बटूर; नि.व. 2006-07

धारा 50सी में प्रावधान है कि भूमि तथा भवन के अन्तरण से उद्भूत किसी अभिलाभ पर पूंजीगत अभिलाभ शीर्ष के अन्तर्गत कर लगाया जाएगा। यदि विक्रय की राशि ऐसे अन्तरण के संबंध में स्टाम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से स्टाम्प शुल्क प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए अथवा निर्धारित मूल्य से कम है तो इस प्रकार अपनाया गया अथवा निर्धारित मूल्य, पूंजीगत अभिलाभ की गणना के उद्देश्य से "राशि के समस्त मूल्य" के रूप में लिया जाएगा।

शान्ति सेल्वराज तथा उसके पति **एस. सम्बासिवम**⁶⁵ ने ऊटी में भूमि⁶⁶ की बिक्री पर ₹ 89.7 लाख की विक्रय राशि प्राप्त की, और दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ के प्रति ₹ 44.9 लाख में से अपना हिस्सा अलग से प्रस्तुत किया। हमने देखा कि स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकरण की

दिशानिर्देश दलों के अनुसार भूमि का मूल्य ₹ 4.6 करोड़⁶⁷ था जो उनके द्वारा घोषित विक्रय राशि से अधिक था। इस प्रकार भूमि का विक्रय मूल्य गलत लेने के कारण ₹ 3.7 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की गणना कम हुई जिसमें ₹ 83 लाख का कर प्रभाव शामिल था।


4.6 अन्य

अपील आदेशों को प्रभाव देते समय निर्धारण में गलतियों तथा प्रावधानों के कार्यान्वयन में त्रुटियों से संबंधित विषयों की चर्चा इस श्रेणी में की गई है।

देते समय निर्धारण में गलती तथा स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) के प्रावधानों के कार्यान्वयन में गलती के परिणामस्वरूप दिल्ली तथा गुजरात में दो मामलों में

अन्य गलतियों नामतः; अपील आदेश को प्रभाव

चार्ट 4.5: अन्य गलतियां



⁶⁵ प्रत्येक निर्धारिणी के लिए अक्टूबर 2007 में दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ के अन्तर्गत निर्धारित ₹ 25.1 लाख की आय।

⁶⁶ 5.97 एकड़ भूमि ₹ 34.49 प्रति वर्ग फुट की दर पर बेची गई जिसकी परिवर्तन दर थी 1 एकड़ = 43561.311 वर्ग फुट।

⁶⁷ ₹ 177* 5.97 एकड़* 43561.311 वर्ग फुट जहां दिशानिर्देश दर ₹ 177 प्रति वर्ग फुट थी।

₹ 1.2 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। उप श्रेणी-वार विवरण (कर प्रभाव के आधार पर) चार्ट 4.5 में दर्शाए गए हैं। दो उप-श्रेणियों की चर्चा नीचे की गई है:

4.6.1 टीडीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में त्रुटियां

एक मामले में टीडीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में त्रुटि के परिणामस्वरूप दिल्ली में ₹ 90 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.6.2 अपील आदेशों को प्रभाव देते समय फर्मों के निर्धारण में गलतियां

निर्धारण अधिकारी ने एक मामले में अपील आदेश को प्रभाव देते समय एक फर्म के निर्धारण में गलती की जिसके परिणामस्वरूप गुजरात में ₹ 30 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

ख वेतनेत्तर हित लाभ कर

4.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

4.7.1 हमने मंत्रालय की टिप्पणी लेने के लिए अगस्त 2010 से नवम्बर 2010 के दौरान उसको ₹ 4.6 करोड़ के कर प्रभाव वाले 15 मामले सूचित किए।

4.7.2 मंत्रालय ने 14 मामलों (93 प्रतिशत) में उत्तर दिया है जिसमें उसने 12 मामलों में हमारी आपत्तियां स्वीकार कर ली हैं जिनका कुल राजस्व प्रभाव ₹ 4 करोड़ है। इनमें से, विभाग ने सभी 12 मामलों में उपचारी कार्रवाई की। इन 12 मामलों का उल्लेख इस प्रतिवेदन के अध्याय II के पैराग्राफ 2.5.5 में किया गया है।

4.7.3 मंत्रालय को जारी 15 मामलों में से, तीन मामले जिनमें ₹ 59.6 लाख का वेतनेत्तर हित लाभ कर (एफबीटी) शामिल है, इस अध्याय में शामिल किए गए हैं।

4.8 वेतनेत्तर हित लाभ की संगणना में गलतियां

वेतनेत्तर हित लाभ कर से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण पश्चिम बंगाल में तीन मामलों में कुल ₹ 59.6 लाख की एफबीटी का कम उद्ग्रहण हुआ। एक मामले का उदाहरण नीचे दिए गया है।

प्रभार: सीआईटी केन्द्रीय-I, कोलकाता ; नि.व. 2006-07

अधिनियम की धारा 115डब्ल्यूई(3) में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा दिए गए अथवा दिए जाने वाले वेतनेत्तर लाभ के मूल्य का निर्धारण उसके लिए एकत्र समस्त संगत सामग्री को हिसाब में लेने के बाद ही करेगा।

एलाइड रेसिन्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड⁶⁸ की वेतनेत्तर लाभ देयता का निर्धारण करते समय, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा किए गए ₹ 97.6 लाख

⁶⁸ वेतनेत्तर लाभ दिसम्बर 2008 में शून्य निर्धारित किया गया।

के विभिन्न⁶⁹ खर्चों पर एफबीटी का उद्ग्रहण नहीं किया। इस गलती के कारण ₹ 25 लाख के वेतनेत्तर लाभ का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 10.5 लाख के वेतनेत्तर लाभ कर का कम उद्ग्रहण शामिल था।

ग सम्पत्ति कर

4.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

4.9.1 हमने मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अगस्त 2010 से नवम्बर 2010 के दौरान उसको ₹ 1.6 करोड़ के कर प्रभाव वाले 29 मामले सूचित किए।

4.9.2 मंत्रालय ने 21 मामलों (72 प्रतिशत) का उत्तर दिया है इनमें से उसने 19 मामलों⁷⁰ स्वीकार किए हैं जिनमें ₹ 30.7 लाख का कुल राजस्व प्रभाव शामिल है। इन 19 मामलों में से, विभाग ने पांच मामलों में ₹ 6.5 लाख की वसूली की तथा 14 अन्य मामलों में उपचारी कार्रवाई पूरी की जिनमें ₹ 24.2 लाख का कर प्रभाव शामिल था। इन 19 मामलों का उल्लेख इस प्रतिवेदन के अध्याय II के पैराग्राफ 2.5.4 तथा 2.5.5 में किया गया है।

4.9.3 मंत्रालय को जारी किए गए 29 मामलों में से दस मामले इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं जिनका राजस्व प्रभाव ₹ 1.3 करोड़ है।

4.10 निर्धारण अभिलेखों का आपस में संबंध न होना

बोर्ड के अनुदेशों⁷¹ का पालन न करने के परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में दस मामलों में कुल ₹ 1.3 करोड़ के सम्पत्ति कर का अनुद्ग्रहण हुआ। दो मामलों के उदाहरण नीचे दिये गए हैं।

ए. प्रभार: सीआईटी पणजी, गोवा; नि.व.2001-02 से 2005-06

बोर्ड ने कर अपवंचन से बचने के लिए विभिन्न प्रत्यक्ष करों से संबंधित निर्धारणों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने तथा सम्पत्ति कर तथा आय कर निर्धारणों के साथ-साथ निपटान हेतु, निर्धारण अधिकारियों को अनुदेश जारी किए। सम्पत्ति कर सम्पत्तियों में से देयता घटाने के बाद लगाया जाता है।

ईडीसी लि. ने नि.व. 2003-04 के संबंध में अपने वार्षिक लेखाओं में सम्पत्ति कर के प्रति ₹ 38.4 लाख का प्रावधान किया। यद्यपि निर्धारिती के पास ऐसी परिसम्पत्तियां थी जिन पर सम्पत्ति कर लगना था, तथापि उसने संगत वर्षों के लिए सम्पत्ति कर की विवरणियां फाईल नहीं कीं। निर्धारण अधिकारी ने

⁶⁹ पेंशन निधि को अंशदान, कर्मचारी कल्याण खर्च, यात्रा एवं वाहन खर्च, दूरभाष खर्च, मोटर वाहन खर्च तथा मोटर वाहन पर मूल्यहास के प्रति किए गए खर्च।

⁷⁰ मंत्रालय ने समरी के रूप में प्रोसेस किए गए दो मामलों में सैद्धान्तिक रूप से लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की जिनमें ₹ 2.2 लाख का कर प्रभाव शामिल है जिसका कारण उसने निर्धारण अधिकारी की सीमा बताया।

⁷¹ नवम्बर 1973, अप्रैल 1979 तथा सितम्बर 1984 में निर्धारण अधिकारियों को जारी किए गए सीबीडीटी के निर्देश।

नि.व. 2001-02 से 2005-06 के लिए सम्पत्ति कर की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.1 करोड़ के सम्पत्ति कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

बी. प्रभार: सीआईटी केन्द्रीय-I, दिल्ली; नि.व.2005-06

सम्पत्ति कर अधिनियम की धारा 2(ईए)(ii) के अनुसार जिन परिसम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर लगता है उनमें मोटर कार भी शामिल हैं।

जागृत खेतान⁷² के पास ₹ 4.8 करोड़ की मोटर कारें थी जिन पर सम्पत्ति कर लगना था। तथापि, न तो निर्धारिती ने सम्पत्ति कर की विवरणी फाईल की और न ही निर्धारण अधिकारी ने उसे मंगाने के लिए कोई कार्रवाई

शुरू की। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 5.8 लाख के सम्पत्ति कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

मीनाक्षी गुप्ता

(मीनाक्षी गुप्ता)

महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर)

नई दिल्ली

दिनांक:

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक:

⁷² नि.व. 2005-06 के लिए निर्धारिती का आयकर निर्धारण धारा 144 के अन्तर्गत पूरा किया गया था (सर्वोत्तम निर्णय) जिसमें दिसम्बर 2007 में ₹ 5.8 लाख की आय निर्धारित की गई थी।